आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमांबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
22.12.22	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक को रखें। अंचल अधिकारी मनातु	
	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त। पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक को रखें। अंचल अधिकारी मनातु	

12.01.23 अभिलेख उपस्थापित। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त
पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक
03.05.23 को रखें।

अंचल अधिकारी
मनातू

03.05.2023 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 19.05.2023 को रखें।

3.5.23

अंचल अधिकारी,
मनातू।

12.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित रैयत को नोटिस किया गया। सूचना का तामिला प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 26.05.2023 रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
26.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदीदार/रैयत उपस्थित। उनके द्वारा बंदोबस्ती पर्चा, लगान रसिद एवं बंदोबस्ती नक्सा की छायाप्रति दाखिल की गई है। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से रैयत द्वारा दाखिल प्रमाणों का मिलान कर जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 07.07.2023 ... को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
07.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की पंजी 2 के पृष्ठ सं0 37/10 पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री/~~श्रीमति~~ रैयाज मियाँ वो मेराज मियाँ दर्ज किया गया है। परिर्वतण के प्रधिकार कॉलम में बंदोवस्ती वाद सं0 146/2002-03 आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है। अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में,

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

विषय:- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी केश नं० 82/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में ऑफलाइन माँग पंजी-II के अवलोकन पश्चात पाया कि धुर माँग पंजी-II के पेज नं० 37/10 पर रैयाज मियाँ वो मेराज मियाँ, गुफरान अंसारी पिता-जमील मियाँ के नाम से माँग कायम है। पंजी-II के अनुसार भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

मौजा	खाता	प्लौट	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
नौडीहा	2	552	3.05	Setalment case. NO-146/2002-03 by order S.D.O Medininagar

प्रतिवेदित भूमि का एकमात्र रसीद दिनांक- 10/4/12 को निर्गत है। रसीद संख्या- 4968280 दर्ज है। माँगधारी रैयत से भूमि बंदोबस्ती से संबंधित राजस्व दस्तावेज की माँग की गई है जो कि अब तक अप्राप्त है। अंचल कार्यालय से सूचना निर्गत कर माँगधारी रैयत से भूमि बंदोबस्ती से संबंधित राजस्व दस्तावेज (बंदोबस्ती पर्चा, राजस्व रसीद,) की माँग की जा सकती है तत्पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अतः जाँच प्रतिवेदन महाशय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

विश्वासभाजन
अनिल कु० रजक
रा० उ० नि०
हल्का -III

18/04/23
R.S.I+CI

महाशय,

कार्यालय द्वारा सूचना निर्गत के पश्चात जमाबंदी रैयत के द्वारा जमीन बंदोबस्ती से संबंधित बंदोबस्ती पर्चा, राजस्व रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई है। पंजी-II में उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी दर्ज किया गया है, जिसके प्राधिकार कॉलम में दर्ज है।

अतः उक्त मामला संदेहास्पद / संदिग्ध जमाबंदी (4H) के अन्तर्गत नहीं आता है।

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.08.23 13:32:49 +05:30
Location: 10.93.157.5